

पुलिस कर्मियों के परिवारजन के कल्याण के संबंध में।

Content

Time: 90 min

1. पुलिस सैलेरी पैकेज के संबंध में, क्रमांक 53 दिनांक 01.06.2018
2. परिपत्र, क्रमांक 1966 दिनांक 29.03.2019
3. परिपत्र, क्रमांक 6673 दिनांक 18.12.2017

॥कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर॥

क्रमांक:-V-15(25)PTC-ICT/PSP/2018/ 53

दिनांक:- 01-06-2018

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान ।
2. निदेशक , आर.पी.ए./एस.सी.आर.बी./आई.टी.ए./
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान
6. पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर
7. उपायुक्त पुलिस मुख्यालय, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर
8. प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर/किशनगढ़
9. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. मय आई.आर./एम.बी.सी./हाडीरानी बटा./राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राजस्थान
10. समस्त कमाण्डेन्ट पुलिस प्रशिक्षण स्कूल/पी.एम.डी.एस./सी.टी.सी., राजस्थान

विषय:- पुलिस सैलरी पैकेज के संबंध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्रांक 13 दिनांक 18.01.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कार्मिकों के कल्याण हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षरित MOU के अनुसार पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की सामान्य मृत्यु/ दुर्घटना में मृत्यु/ दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता/आंशिक विकलांगता की स्थिति में प्राप्त परिलाभ के विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं परिपत्र सलंग्न है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा-निर्देश एवं परिपत्र से आपके जिला/यूनिट के समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को रोल-काल/ सूचना पट्ट/सम्पर्क सभा के माध्यम से अवगत करावें।

सलंग्न-उपरोक्तानुसार

सवेदीय
(सुनील दत्त) 1/6/2018

अति० महानिदेशक पुलिस एवं
निदेशक पुलिस दूरसंचार
राजस्थान, जयपुर।

